भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5679

04 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ओडिशा में औषधीय पौधों की खेती

5679. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में ओडिशा में की जा रही औषधीय पौधों की खेती के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल कितना है और उत्पादन के रुझान क्या रहे;

(ख) इसी अवधि के दौरान ओडिशा के लिए राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) के तहत कुल कितनी निधि आवंटित और उपयोग की गई है;

(ग) क्या सरकार ने औषधीय पौधों की खेती के लिए ओडिशा में किसानों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सहायता प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ओडिशा के औषधीय पौधों पर आधारित उत्पादों के विपणन और मूल्य संवर्धन को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

<u>उत्तर</u>

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): विगत में, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक ओडिशा सहित पूरे देश में औषधीय पादपों की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित की गई थी। आयुष मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) योजना के औषधीय पादप घटक के अंतर्गत ओडिशा में औषधीय पादपों की खेती के लिए 866 हेक्टेयर क्षेत्र को सहयोग प्रदान किया था। ओडिशा में राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) योजना के औषधीय पादप घटक के अंतर्गत औषधीय पादपों की खेती के लिए सहायता प्राप्त क्षेत्र का विवरण **संलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख) वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान ओडिशा के लिए राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) की "औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय योजना (सीएसएस)" के अंतर्गत स्वीकृत/अनुमोदित और उपयोग की गई कुल निधियों का विवरण **संलग्नक-II** पर दिया गया है।

(ग) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) - केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, अल्पावधिक औषधीय पादपों के क्षेत्र विस्तार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। सहायता संबंधी पैटर्न सहित लागत मानदंडों का विवरण **संलग्नक-III** पर दिया गया है।

इसके साथ-साथ, राज्य औषधीय पादप बोर्ड (एसएमपीबी), ओडिशा भी शहरी वन प्रभाग, भुवनेश्वर में एक प्रसंस्करण इकाई और सुखाने का यार्ड विकसित कर रहा है। एसएमपीबी, ओडिशा

द्वारा कलिंग हर्बल मेले, प्रशिक्षण/कार्यशालाओं/सेमिनारों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम, आईईसी सामग्री का वितरण और एक्सपोजर दौरों आदि का भी आयोजन किया जा रहा है।

(घ) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राइफेड) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ट्राइफेड “प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)” योजना को कार्यान्वित कर रहा है, जो ओडिशा सहित पूरे देश के जनजातीय समुदायों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए लघु वन उत्पाद (एमएफपी), कृषि और गैर-कृषि उपज/उत्पादों के मूल्य संवर्धन और विपणन पर ध्यान केंद्रित करता है।

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) योजना के अंतर्गत लघु वन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी फॉर एमएफपी) घटक के अंतर्गत, खरीद के लिए 87 एमएफपी वस्तुओं की पहचान की गई है, जिनमें औषधीय पादप भी सम्मिलित हैं।

एमएफपी वस्तुओं के साथ-साथ उनकी खरीद दरों का विवरण निम्नलिखित लिंक पर प्रदान किया गया हैं:
https://trifed.tribal.gov.in/sites/default/files/2022-02/List%20of%2087%20MFPs.pdf ।

*****

संलग्नक - I

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) योजना के औषधीय पादप घटक के अंतर्गत औषधीय पादपों की खेती के लिए ओडिशा में सहायता प्राप्त क्षेत्र का वर्ष-वार विवरण

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**सहायता प्राप्त क्षेत्र हेक्टेयर में**
1.	2015-16	-
2.	2016-17	488
3.	2017-18	-
4.	2018-19	378
5.	2019-20	-
6.	2020-21	-
कुल		**866**

संलग्नक - II

वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान ओडिशा के लिए राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) की "औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय योजना (सीएसएस)" के अंतर्गत स्वीकृत/अनुमोदित और उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**विभिन्न संगठनों को सीएसएस के अंतर्गत स्वीकृत/अनुमोदित निधि**	**विभिन्न संगठनों को सीएसएस के अंतर्गत जारी की गई निधि (परियोजना की पहली और दूसरी किश्त)**	**सीएसएस के अंतर्गत उपयोग की गई निधि**
1.	2021-22	110.64	61.25	61.89838
2.	2022-23	108.04	79.30	25.72384
3.	2023-24	48.40	36.21	17.56128
कुल		**267.08**	**176.76**	**105.1835**

संलग्नक-III

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) योजना के अंतर्गत सहायता पैटर्न सहित लागत मानदंडों का विवरण निम्नलिखित है:

क्र.सं.	**घटक का नाम**	**लागत मानदंड**	**सहायता पैटर्न**
1.	औषधीय पौधे (मुलेठी, शतावरी, कलिहारी, श्वेत मुसली, गुग्गल, मंजिष्ठा, कुटकी, अतीस, जटामांसी, अश्वगंधा, ब्राह्मी, तुलसी, विदारीकंद, पिप्पली, चिराता, पुष्करमूल आदि)	रु. 1,50,000 प्रति हेक्टेयर	एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम)/एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) आदि के लिए रोपण सामग्री और सामग्री की लागत पर व्यय को पूरा करने के लिए सामान्य क्षेत्रों में 2 हेक्टेयर तक के क्षेत्र के लिए सहायता, आनुपातिक आधार पर 40% की दर से 60:40 की 2 किश्तों में दी जाएगी। पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, जीवंत गांवों, अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूहों के मामले में, सहायता आनुपातिक आधार पर 2 हेक्टेयर तक के क्षेत्र के लिए 50% की दर से दी जाएगी।